(iii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से प्ररुप **जीएसटीआर-8** में विवरण के रुप में प्रस्तुत करेगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2023

**No. 36/2023- Central Tax**

**G.S.R. 588(E).—**In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons paying tax under section 10 of the said Act (hereinafter referred to as the said person), namely: —

(i) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;

(ii) the electronic commerce operator shall collect tax at source under sub-section (1) of section 52 of the said Act in respect of supply of goods made through it by the said person and pay to the Government as per provisions of sub-section (3) of section 52 of the said Act; and

(iii) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

**सं. 37/2023-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 589(अ).—**केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि.577 (अ) तारीख 31 जुलाई, 2023 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 34/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 31 जुलाई, 2023 द्वारा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थातः-

(i) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति को केवल तभी अनुज्ञात करेगा, यदि उक्त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर नामाकंन संख्या का आबंटन किया गया है;